रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, सोमवार, जून 20, 1988/ज्येष्ठ 30, 1910
No. 339] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 20, 1988/JYAISTHA 30, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 1988

सा.का.नि. संख्या 714(अ).—लोक ऋण नियमावली, 1946 में संशोधन करने वाले कतिपय उन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिनको केन्द्रीय सरकार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धा-

रित करना चाहती है, उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) में विहित अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिन पर उनका प्रभाव पड़ने की संभावना है और एतद्द्वारा यह नोटिस भी दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रारूप पर, उस तारीख को जिसको अधिसूचना से युक्त सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध की जाएंगी या उस तारीख से 15 दिन की अवधि पूरी होने के बाद, विचार किया जाएगा।

एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले उपर्युक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियमावली

1. इन नियमों को लोक ऋण संशोधन नियमावली, 1988 कहा जाएगा।

2. लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 9 में, उक्त नियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(3ख) ब्याज का पूर्णांकन : जिस मामले में किसी सरकारी प्रतिभूति की शर्तों के अनुसरण में देय ब्याज की निवल राशि में इतने पैसे शामिल हों, जो कि पांच पैसे के गुणक न हों, तब पैसों की उस राशि को पांच पैसे के निकटतम गुणक में पूर्णांकित कर दिया जाएगा, और यदि उस राशि में अंतम अंक तीन या चार या आठ या नौ हो तो उस प्रयोजन के लिए उस अंक वाली राशि को बढ़ाकर उससे अगली उच्च राशि में परिवर्तित कर दिया जाएगा जो कि पांच पैसे का गुणक होगी और यदि उस अंतिम अंक एक या दो या छः या सात हो तो ईस राशि को घटाकर उससे तुरन्त कम राशि में परिवर्तित कर दिया जाएगा जोकि पांच पैसे का गुणक होगी।

[एफ. 4(11)-डब्ल्यु एण्ड एम/83]

राष्ट्रपति के आदेश से,

वी. बालसुब्रमण्यन, विशेष कार्य अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 1988

G.S.R. No. 714(E).—The following draft of certain rules to amend the Public Debt Rules, 1946, which the Central Government proposes to make in

exercise of the powers conferred by section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), is hereby published as required by sub-section (1) of that section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date on which copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public.

Any objection or suggestion received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These Rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 1988.

2. In the Public Debt Rules, 1946, in rule 9, after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3B) Rounding Off of interest.—Where the net amount of interest payable in accordance with the terms of a Government security contains an amount in paise which is not a multiple of five paise, then, the amount of paise shall be rounded off to the nearest multiple of five paise and for this purpose if the last figure in that amount is three or four or eight or nine, the amount shall be increased to the next higher amount which is a multiple of five paise and if the last figure is one or two or six or seven, the amount shall be reduced to the next lower amount which is a multiple of five paise".

[F. 4(11)-W&M|83]

By Order of the President,
V. BALASUBRAMANIAN, Officer On Special Duty.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988